न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 48/2016 **दायरा दिनांक :27.01.2016**

उनवान

1— रामकन्याबाई बेवा गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

2— बद्रीलाल पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

3— चतुर्भुज पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

4— जयप्रकाश पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5— रामबिलास पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

6— धनराज पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामस्वरूप पुत्र बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

2— छोटूलाल पुत्र बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

3— मांगीलाल पुत्र बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

4— ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5— कस्तूरी बेवा बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

6— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

7— चन्दा बाई पत्नी बुद्धि प्रकाश, जाति वैष्णव, निवासी चूडी बाजार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 216/2016 **दायरा दिनांक : 02.05.2016**

उनवान

1— रामकन्याबाई बेवा गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

2— बद्रीलाल पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

3— चतुर्भुज पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

4— जयप्रकाश पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5— रामबिलास पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

6— धनराज पुत्र गोरधन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामस्वरूप पुत्र बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

2— छोटूलाल पुत्र बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

3— मांगीलाल पुत्र बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

4— ओमप्रकाश पुत्र बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5— कस्तूरी बेवा बजरंगा, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

6— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

7— चन्दा बाई पत्नी बुद्धि प्रकाश, जाति वैष्णव, निवासी चूडी बाजार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल जैन एवं श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.02.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 41/2011 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.01.2016 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सुसावन, तहसील बारां खसरा नम्बर 391 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.04 हेक्टर कुल 4 किता की 0.61 हेक्टर आराजी स्थित है । दोनों खातेदारान का स्वर्गवास हो चुका है । बजरंगा के स्थान प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 का नाम और गोरधन के स्थान पर वादीगण 1 लगायत 4 का नाम दर्ज हो चुका है । बजरंगा के खाते में खसरा नम्बर 595 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 596 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.06 हेक्टर कुल 3 किता की 0.57 हेक्टर ग्राम सुसावन में स्थित है । बजरंगा और गोरधन के पिता माधो लाल थे । माधो लाल के स्वर्गवास के बाद आराजी दोनों पुत्रों बजरंगा एवं गोरधन के नाम दर्ज हुई परन्तु मद संख्या 2 में अंकित आराजी केवल बजरंगा के नाम दर्ज हुई और बजरंगा के फौत हो जाने पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हुई । मद संख्या 1 और 2 की आराजी बजरंगा और गोरधन शामलाती में काश्त करते थे और आपसी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काश्त करते रहे । मद संख्या 2 की आराजी केवल बजरंगा के नाम होने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गयी है । इसको वह अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । चन्दा बाई को भी प्रतिवादी नम्बर 7 के रूप में प्रतिवादी बताया गया है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी का नाम बहेसियत खातेदार अंकित

किया जाये और कब्जा दिलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में दिनांक 31.05.2010 को निर्णय पारित किया गया जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि क्रेता चन्दा बाई को भी पक्षकार बनाया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किया जाये । इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है और काउंटर क्लेम स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री जारी की है । इन निर्णयों से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 48/2016 जो कि प्रारभिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 7 के काउंटर क्लेम को गलत रूप से स्वीकार किया है । वादग्रस्त आराजी बजरंगा को आवंटित होने का कोई जिक्र नहीं है फिर भी यह मानकर कानूनी त्रुटि की है । विवादित आराजी पैतृक थी । फिर भी इसे पैत्रृक न मानकर आवंटन होना मानकर त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील संख्या 216/2016 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है, में अपीलांट ने कथन किया है कि राजस्व मण्डल के नियमों की पालना नहीं की गई है । मौके पर पक्षकारान मौजूद नहीं थे । तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं हैं । पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये गये हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों आराजी पैतृक है । मद संख्या 1 में वर्णित आराजी गोरधन और बजरंगा दोनों के नाम नामान्तरकरण खोला गया है और मद संख्या 2 में वर्णित आराजी सिर्फ बजरंगा के खाते में दर्ज की गई है जबकि कब्जा दोनों का था । तद्नुसार विभाजन का दावा पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर विधिक त्रुटि की है । प्रतिवादीगण का जवाब कहीं यह इंगित नहीं करता है कि आराजी पैतृक नहीं है । गलत रूप से आराजी को बंजरंगा को आवंटित होना माना है । आराजी पैतृक है जिसमें वादीगण का हित निहित है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि इस न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय में यह माना है कि जो आराजी बंजरंगा के तन्हा खाते में दर्ज है । उसमें वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी बजरंगा को आवंटनशुदा है जिसमें अपीलांटगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ नयायालय का निर्णय विधि सम्मत है । दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर, नकल नोटिस 80 सी पी सी, नकल जमाबंदी सम्वत 2066 खाता संख्या 119 एक्जीविट–2 जिसमें कुल 3 किता की 0.57 हेक्टर आराजी बजरंगा के तन्हा खाते में दर्ज है नामान्तरकरण संख्या 354 के अनुसार बजरंगा के स्थान पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया है । नकल एक्जीविट 3 खाता संख्या 118 के अनुसार कुल 4 किता 0.61 हेक्टर आराजी बजरंगा और गोरधन के संयुक्त खाते में दर्ज है इसमें नामान्तरकरण संख्या 354,

374 का नोट अंकित है । नकल मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट 4, के रूप में पत्रावली में सलंग्न है । इसके अलावा बयान बद्री लाल पी डब्ल्यू 1, भंवर लाल व पन्ना लाल पी डब्ल्यू 2 कराये गये हैं । भंवर लाल के बयान पर कोई नम्बर अंकित नहीं है । सम्वत 2015–24 की खतौनी बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति एक्जीविट 1ए के रूप में पत्रावली पर सलंग्न है और भू प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट 2ए, नकल खसरा गिरदावरी, सम्वत 2024–27 एक्जीविट 3ए और खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–31 की प्रमाणित प्रति एक्जीविट 4ए के रूप में पत्रावली में सलंग्न है । बयान चन्दा बाई डी डब्ल्यू 1 पेश किये गये हैं । नकल नामान्तरकरण संख्या 391 एक्जीविट 3ए जिसमें वादग्रस्त आराजी चन्दा बाई के खाते में दर्ज हुई है और नकल जमाबंदी सम्वत 2066–70 एक्जीविट 4ए के रूप में सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी चन्दा बाई के खाते में दर्ज है ।

अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि बजरंगा के तन्हा खाते में जो आराजी दर्ज है वह पैतृक है इस कारण उनका 1/2 हिस्सा निहित है परन्तु इस आराजी को पैतृक सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में इस आराजी को पैतृक नहीं माना जा सकता है । तद्नुसार यह आराजी बजरंगा के तन्हा खाते की मानी जाएगी । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 595, 596, 652 कुल 3 किता की 0.57 हेक्टर आराजी चन्दा बाई के खाते में दर्ज हो चुकी है । जो आराजी बजरंगा के तन्हा खाते में दर्ज है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता क्योंकि वादीगण यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि यह आराजी पैतृक है और गलत रूप से बजरंगा के तन्हा खाते में दर्ज की गई है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है वह विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । तद्नुसार अपील अपीलांट संख्या 48/2016 विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की जाती है ।

जहां तक अपील संख्या 216/16 विरूद्ध अंतिम डिक्री का प्रश्न है । इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वादीगण को 0.31 हेक्टर और प्रतिवादीगण को 0.30 हेक्टर आराजी प्रदान की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.02.2016 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव से वकील प्रतिवादी संतुष्ट हैं । आदेशिका पर अपीलांट वादी के अभिभाषक के हस्ताक्षर भी हो रहे हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गई है वह प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप ही है । यदि अपीलांट के विद्वान अभिभाषक का इसमें कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । अब अपील में उन्हें इस बंटवारा प्रस्ताव के विरूद्ध किसी प्रकार का कथन करने का अधिकार नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 48/2016 एवं 216/2016 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 07.01.2016 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.02.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा